

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 19.09.2020

मुठभेड़ के उपरान्त 03 शातिर गौकश अपराधी थाना अनूपशहर पुलिस द्वारा गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलाह मय कारतूस, प्रतिबंधित नशीली गोलियां, चोरी की मोटरसाईकिल बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक देहात श्री हरेन्द्र कुमार के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी अनूपशहर श्री अतुल कुमार चौबे व प्रभारी निरीक्षक थाना अनूपशहर श्री अखिलेश कुमार त्रिपाठी के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 18.09.2020 की रात्रि में थाना अनूपशहर पर तैनात व0उ0नि0 सुनील कुमार गौतम व उ0नि0 महाराज सिंह मय फोर्स के क्षेत्र में तलाश वांछित व संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थे तथा दुगरऊ तिराहे पर चैकिंग कर रहे थे तभी शाहजहांपुर गांव की तरफ से एक मोटरसाईकिल आती दिखायी दी जिसको पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया गया तो मोटरसाईकिल सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा बदमाशों की घेराबंदी कर आवश्यक बल प्रयोग कर समय करीब रात्रि 22.15 बजे 03 शातिर बदमाशों को अवैध असलाह मय कारतूस, प्रतिबंधित नशीली गोलियां व एक मोटरसाईकिल सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1- फिरोज पुत्र अलीहसन उर्फ गबरू निवासी ग्राम मलकपुर थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर
- 2- अब्दुल वहाब पुत्र युसूफ निवासी पट्टी डहर थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर
- 3- सब्बर पुत्र इदरीश निवासी ग्राम मलकपुर थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर

बरामदगी-

- 1- 03 तमंचा 315 बोर मय 03 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस
- 2- 4500 प्रतिबंधित नशीली गोलियों (एन्जीलम अलप्राजोलम)
- 3- 01 स्प्लेण्डर मोटरसाईकिल नं0 यूपी-82बी-9314 (चोरी की)

गिरफ्तार तीनों अभियुक्तगण शातिर किस्म के गौकश हैं जो नशीली गोलियों को खाद्य पदार्थ में मिलाकर आवारा गौवंशों को खिला देते हैं जिससे गौवंश मूर्च्छित हो जाते हैं जिससे उन्हें गाड़ी में लादने में कोई परेशानी नहीं होती है और जंगल आदि स्थानों पर गौकशी आदि की घटनाएँ कारित करते हैं। गिरफ्तार अभियुक्त कुख्यात किस्म का गौकश है जिसके विरुद्ध विभिन्न जनपदों/थानों पर गौकशी, चोरी, हत्या का प्रयास आदि संगीन अपराधों के निम्न अभियोग पंजीकृत हैं-

अभियुक्त फिरोज का आपराधिक इतिहास-

- 1- मुअसं-87/15 धारा 3/5क/8 गौवध अधि0 थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर ।
- 2- मुअसं-149/16 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर ।
- 3- मुअसं-371/16 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर ।
- 4- मुअसं-243/17 धारा 147/148/307/323/452/506 भादवि थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर ।
- 5- मुअसं-263/17 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर ।
- 6- मुअसं-358/17 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 व 3/11 पशु क्रूरता अधि0 थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर ।
- 7- मुअसं-616/17 धारा 379/411 भादवि थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर ।
- 8- मुअसं-617/17 धारा 379/411 भादवि थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर ।
- 9- मुअसं-618/17 धारा 307 भादवि थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर ।
- 10- मुअसं-620/17 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर ।
- 11- मुअसं-111/18 धारा 307 भादवि थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर ।
- 12- मुअसं-112/18 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर ।
- 13- मुअसं-113/18 धारा 25 शस्त्र अधि0 थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर ।
- 14- मुअसं-253/18 धारा 380/411/420 भादवि थाना देहली गेट जनपद अलीगढ़ ।

- 15- मुअसं-476/20 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड़) थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर ।
- 16- मुअसं-477/20 धारा 411 भादवि थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर ।
- 17- मुअसं-482/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि० थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर ।
- 18- मुअसं-483/20 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर ।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना अनूपशहर पर मुअसं-476/20 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड़), मुअसं-477/20 धारा 411 भादवि व मुअसं-478, 480 व 482/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि० एवं मुअसं-479, 481 व 483/20 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- श्री अखिलेश कुमार त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक थाना अनूपशहर
- 2- व०उ०नि० सुनील कुमार गौतम
- 3- उ०नि० महाराज सिंह
- 4- का० अमित कुमार, का० सुनील कुमार, का० अनुप्रताप, का० चांदवीर, का० अरुण कुमार